तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज परमेश्वर प्रजापत बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 66 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी परमेश्वर प्रजापत पुत्र एम.एल. प्रजापत पता प्रजापत भवन, राज भवन के सामने, शिव रोड़, रातानाडा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.03.2019 में उसके द्वारा (1) जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए चयन के लिए क्या प्रक्रिया है व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.((अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 633 दिनांक 21.05.19 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 571 दिनांक 13.05.19 रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 20 पृष्ठीय बिन्दुवार सूचना निशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना अपील दायर होने के पश्चात प्रेषित की गई जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	